



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियोग में 03 अभियुक्त को आजीवन कारावास व ₹ 72,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु०अ०सं०-552/2022 धारा-452,302/34 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय जिला/सत्र न्यायाधीश जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त गण 1.रोशन पुत्र नसीम 2.शहबाज पुत्र अब्दुल रहमान उर्फ शेरू ड्राइवर 3.तौजीफ उर्फ नदीम हुसैन पुत्र हनीफ निवासीगण बड़ी जुलेहटी थाना राठ हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को 24,000-24,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
डीजीसी श्री राजेश कुमार
शुक्ला



विवेचक-
निरी० रनवीर सिंह



पैरोकार- थाना राठ
का० प्रदीप भार्गव